

राजस्थान सरकार
निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक प्र 34(1) निर 11/2/2019

दिनांक : 06-12-2019

-: आदेश :-

माननीय मुख्यमंत्री महोदय की बजट घोषणा वर्ष 2019-20 में राज्य में गली-मोहल्ले में जनता क्लिनिक खोले जाने के उद्देश्य के अन्तर्गत शासन उप सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-2) विभाग, राजस्थान जयपुर के निर्देश दिनांक 31.10.2019 के अनुसरण में निम्नांकित चिकित्सकों को उनकी स्वयं की प्रार्थना एवं चयन समिति द्वारा चयनित किये जाने के फलस्वरूप उनके नाम के सम्मुख अंकितानुसार जनता क्लिनिक में अग्रिम आदर्शों तक कार्य सम्पादन हेतु लगाया जाता है :-

क्र. सं.	चिकित्सक का नाम	वर्तमान पदस्थापन स्थान	आवंटित जनता क्लिनिक जयपुर
1	डॉ० नारायण दास	ईएसआई चिकित्सालय टोंक	जालुपुरा पार्क, बडी मस्जिद के सामने, संसार चन्द्र रोड, जालुपुरा
2	डॉ० राकेश टूटेजा	सामु.स्वा.केन्द्र गोविन्दगढ़, अलवर	वाल्मिकी कच्ची बस्ती, मालवीय नगर
3	डॉ० अभिषेक कुमार	सैटेलाइट चिकित्सालय झालारापाटन, झालावाड	शेखावाटी परिषद, विद्याधर नगर
4	डॉ० कविता जैन	सामु.स्वा.केन्द्र नदबई, भरतपुर	धानका बस्ती, कम्यूनिटी हॉल, वार्ड नं. 22, हसनपुरा
5	डॉ० मधु अरोड़ा	सामु.स्वा.केन्द्र पावटा, जयपुर	सामुदायिक केन्द्र इन्दिरा नगर, वार्ड नं. 51, झालाना डूंगरी
6	डॉ० मुकेश कुमार गर्ग	बी.डी.एम. चिकित्सालय कोटपूतली, जयपुर	ईएसआई डिस्पेंसरी, तोपखाना का रास्ता, रैगर बस्ती, कोल डिपो, वार्ड नं. 76, तोपखाना
7	डॉ० रवि रावत	सामु.स्वा.केन्द्र डीग, भरतपुर	सेक्टर-03, ब्लॉक-30, डिस्पेंसरी बिल्डिंग, वार्ड नं. 38, प्रतापनगर
8	डॉ० राजेश कुमार चौधरी	सामु.स्वा.केन्द्र पीपलू, टोंक	कम्यूनिटी हॉल, वन विहार, वार्ड नं. 68, दिल्ली बाईपास
9	डॉ० अमित पारीक	प्राथ.स्वा.केन्द्र मुण्डरू, सीकर	आजाद नगर, जवाहर नगर, कच्ची बस्ती, वार्ड नं. 62
10	डॉ० गिरधर गोपाल	सामु.स्वा.केन्द्र निमाज, पाली से सामु.स्वा.केन्द्र देवगढ़, राजसमन्द स्थानान्तरणाधीन	सेक्टर-08, ब्लॉक-82, हाऊसिंग बोर्ड डिस्पेंसरी, गोपीनाथ हॉस्पिटल के पास, वार्ड नं. 38, प्रतापनगर
11	डॉ० चन्द्रा शेखावत	जिला चिकित्सालय टोंक	सामुदायिक केन्द्र मुरलीपुरा
12	डॉ० अजय गुप्ता	ईएसआई डिस्पेंसरी मटीला, अलवर	सुमेर नगर, प्लॉट नं. 49, वार्ड नं. 34, सांगानेर
13	डॉ० पवन कुमार भार्गव	राजकीय चिकित्सालय नवलगढ़, झुन्झुनू	एल.आर. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जयपुर के अधीन

उपरोक्त चिकित्सकों ने स्वयं की इच्छा से उक्त कार्य हेतु आवेदन किया है। इसलिए इन्हें नियमानुसार किसी भी प्रकार का यात्रा/विश्राम भत्ता देय नहीं है तथा इनका वेतन इनके मूल पदस्थापन स्थान से ही नियमानुसार आहरित होगा, एवं दिनांक 09.12.2019 को प्रातः 09:30 बजे State Institute of Health & Family Welfare (सिफू) में अपनी उपस्थिति निर्धारित समय व तिथि को प्रस्तुत करे।

शासन उप सचिव
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-2) विभाग,
राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक ५२३५० दिनांक २/१२/१९

दिनांक ६-१२-२०१९

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय स्वास्थ्य मंत्री महोदय, राजस्थान जयपुर।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान जयपुर।
3. निदेशक (जन स्वास्थ्य), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान जयपुर।
4. निजी सहायक, निदेशक State Institute of Health & Family Welfare (सिफू) को निर्देशित किया जाता है कि प्रशिक्षण से सम्बन्धित समस्त व्यवस्था आप अपने स्तर से किया जाना सुनिश्चित करावे।
5. समस्त संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन।
6. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, संबंधित
7. संबंधित चिकित्सकों को विभागीय वेबसाइट के माध्यम से निर्देशित किया जाता है कि वे अपनी उपस्थिति नवीन पदस्थापन स्थान पर तुरन्त प्रभाव से प्रस्तुत करें।
8. प्रभारी, कम्प्यूटर सर्वर रूम, मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को आज ही विभाग की वेबसाइट पर अवलोड करावें।
9. निजी/आदेश पत्रावली।

शासन उप सचिव

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-२) विभाग,
राजस्थान, जयपुर।